

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

क्रमांक :- 1154
सेवा में,

दिनांक :- 21/2/2024

श्रीमान उप वन संरक्षक,

बारों

प्रसंग :- एफ () एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/11065 दिनांक 15.12.2023 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- Construction and widening of ramgarh mata ji parikrama road

यूजर एजेन्सी का नाम :- Executive Engineer, PWD Shahbad (Raj.)

यूजर एजेन्सी का नाम :- EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. SHAHABAD

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 9.06 ha. (Baran)

प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Baran distt. & Baran Territorial

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/ROAD/34310/2018 18.09.2019

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेप का जवाब
1	उक्त प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 4733 हैं परन्तु आप द्वारा 157 वृक्षों का ही दोहन होना बताया गया है साथ ही 7 मीटर की चौड़ाई में आने वाले वृक्षों का ही दोहन किया जाना बताया गया है। यदि आप द्वारा 157 वृक्षों का ही दोहन किया जाना है तो शेष रही वन भूमि का उपयोग में नहीं आना प्रतित होता है।	उक्त प्रस्ताव 12 मीटर ROW में प्रस्तावित है। जिसमें 9 मीटर में केरिज वे पटरी सहित प्रस्तावित है इसके अन्तर्गत 7 मीटर चौड़ाई के पेड़ों का ही दोहन किया जायेगा तथा शेष बची 5 मीटर की चौड़ाई में पेड़ों का दोहन नहीं किया जायेगा। गणना रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न की गई है।

अधिशाषी अभियन्ता
हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद